५५१

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AH 638984

पट्टानामा अनुबन्ध पत्र

मुद्दत– 20 वर्ष मु0 1000/– रुपये प्रतिमाह

स्टाम्प मु0 2500/– रुपये

हम कि श्रीमती अर्चना रानी पत्नी श्री पुत्री रमेश चन्द्र निवासी मौहल्ला हीरा कॉलोनी, कस्बा सिकन्द्राबाद, जिला बुलन्दशहर (आधार सं0–819198714528) फरीक अव्वल (पट्टा दाता) एवं कैम्ब्रिज इन्स्टीटयूट ऑफ इंग्लिश लैग्वेज सोसाईटी, सिकन्द्राबाद, जिला बुलन्दशहर द्वारा प्रबन्धक/सचिव नवीन कुमार गौड़ पुत्र श्री उदयपाल सिंह, निवासी मौहल्ला हीरा कॉलोनी, कस्बा सिकन्द्राबाद, जिला बुलन्दशहर (आधार सं0–237321738152) फरीक दोयम (पट्टा गृहीता)।

योगेश गुप्ता, स्टाम्प विक्रेता
लाइसेंस नं0 112/2001
कलैक्टेट परिसर, बुलन्दशहर

सब रजिस्ट्रार सिकन्द्राबाद
जिला बुलन्द शहर

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AH 638985

(2)

विदित हो कि सम्पत्ति स्थित मौहल्ला हीरा कॉलोनी (खसरा/खाता सं0–1503, गाटा संख्या –1509 का अंश), परगना व तहसील सिकन्द्राबाद, जिला–बुलन्दशहर एक किता इमारत व भूमि पैमाईशी कुल क्षेत्रफल 6325 वर्गमीटर, जिसमें कमरे बने है एवं शेष खाली फील्ड है। चतुर्सीमा :–पूरब –रास्ता, पश्चिम– प्लाट पवन कुमार आदि, उत्तर–प्लाट जितेन्द्र भाटी, दक्षिण–रास्ता मिल्कियत फरीकअव्वल है। मुझ फरीक दोयम ने उपरोक्त इमारत व भूमि को शिक्षण संस्थान हेतु निम्न शर्तों पर किराये पर लिया है।

1. यह कि पट्टानामा दिनांक 16.03.2023 ई0 से 15.03.2043 तक अधिकृत होगा।
2. यह कि दोनों फरीकैन ने आपसी सहमति के आधार पर मु0–1000/–(एक हजार रूपये) फरीक दोयम द्वारा फरीक अव्वल को देना तय हुआ है।
3. यह कि इस पट्टानामे की म्याद 20 साल तय करार पाई है तथा फरीक दोयम प्रत्येक माह की 01 तारीख को किराया अदा करेगा।

योगेश गुप्ता स्टाम्प विक्रेता
लाइसेंस नं0 112/2001
कलेक्ट्रेट परिसर, बुलन्दशहर

5813 6/3/23
50 ...

पट्टा विलेख (20 वर्ष , 00 माह)

प्रतिफल	मालियत	ओसत वार्षिक किराया	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग
60,000.00		12,000.00	700.00	20	720.00	800

कैम्ब्रिज इन्स्टीटयूट ऑफ इंग्लिश लैग्वेज सोसाईटी, द्वारा नवीन कुमार गौड प्रबन्धक

पुत्र श्री उदयपाल सिंह

व्यवसाय व्यापार

निवासी स्थायी मौ0 हीरा कॉलोनी कस्बा सि0बाद

अस्थायी पता

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 16/3/2023 समय 12:47PM

बजे निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ब्रजेश कुमार
उप निबन्धक
सिकन्द्राबाद
16/3/2023

निबन्धन लिपिक

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रू प्रलेखानुसार

पट्टा दाता
श्रीमती अर्चना
पुत्री श्री रमेश चन्द्र
पेशा गृहिणी
निवासी मौ0 हीरा कॉलोनी कस्बा सि0बाद

पट्टा गृहीता
कैम्ब्रिज इन्स्टीटयूट ऑफ इंग्लिश लैग्वेज सोसाईटी
द्वारा नवीन कुमार गौड़ प्रबंधक
पुत्र श्री उदयपाल सिंह
पेशा व्यापार
निवासी मौ0 हीरा कॉलोनी कस्बा सि0बाद

ने निष्पादन स्वीकार किया।
जिनकी पहचान श्री नितिन जैन
पुत्र श्री सुरेश चंद जैन
पेशा व्यापार
निवासी मौ0 हीरा कॉलोनी कस्बा सि0बाद
व श्री सतीश चंद
पुत्र श्री राम चन्द्र
पेशा व्यापार
निवासी मौ0 टीचर्स कॉलोनी कस्बा सि0बाद
ने की।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ब्रजेश कुमार
उप निबन्धक
सिकन्द्राबाद
16/3/2023

निबन्धन लिपिक

Scanned with OKEN Scanner

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AH 638986

(3)

4. यह कि यदि निरंतर 03 माह का किराया रूक जायेगा तो ऐसी दशा में फरीक अव्वल को यह हक हासिल होगा कि वह फरीक दोयम से अपनी उक्त भूमि को खाली करा लें।
5. यह कि फरीक दोयम उपरोक्त भूमि को अपनी ओर से किसी अन्य व्यक्ति को किराये पर नहीं देगा और यदि देगा तो उपरोक्त सम्पत्ति से बेदखल समझा जावेगा।
6. यह कि इस पट्टानामे की अवधि समाप्त होने पर फरीक दोयम उपरोक्त भूमि को अपने कब्जे से छोड़कर उस पर फरीक अव्वल का कब्जा करा देगा।
7. यह कि उक्त भूमि पर (पट्टानामे की अवधि को छोड़कर) यदि कोई देनदारी, लोन आदि होगा तो उसकी अदायगी की पूर्ण जिम्मेदारी फरीक अव्वल की होगी।

Scanned with OKEN Scanner

योगेश गुप्ता, स्टाम्प विक्रेता
लाइसेंस नं0 112/2001
कलैक्टेट परिसर, बुलन्दशहर

पट्टा दाता

Registration No.: 441 Year : 2,023 Book No.: 1

0101 अर्चना

रमेश चन्द्र

मौ0 हीरा कॉलोनी कस्बा सि0बाद

गृहिणी

सब रजिस्ट्रार सिकन्दराबाद
जिला बुलन्दशहर

Scanned with OKEN Scanner

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500

FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये

सत्यमेव जयते

Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AH 638987

8. यह कि पट्टानामा की अवधि के अन्दर बिजली पानी सभी प्रकार के टैक्स व देनदारी आदि को जमा करने की जिम्मेदारी फरीक दोयम की होगी तथा फरीक दोयम उक्त भूमि में स्कूल के लिए यदि कोई निर्माण कार्य कराता है, तो फरीक अव्वल को कोई आपत्ति नहीं होगी।

9. यह कि यदि पट्टानामा की अवधि पूर्ण होने के पश्चात दोबारा आपसी सहमति से अवधि बढ़ायी जाती है तो स्टाम्प शुल्क व फीस अदाकर पंजीकरण कराना होगा।

10. यह है कि ये भूमि उक्त संस्था को स्कूल चलाने के लिए किराये पर दी गयी है तथा आवश्यकतानुसार स्कूल हेतु निर्माण कार्य कराया जा सकता है।

Scanned with OKEN Scanner

59'54 ·163/m

5853

योगेश गुप्ता, स्टाम्प विक्रेता
लाईसेंस नं0 112/2001
कलैक्टेट परिसर, बुलन्दशहर

पट्टा गृहीता

Registration No.: 441 Year : 2,023 Book No.: 1

0201 कैम्ब्रिज इन्स्टीटयूट ऑफ इंग्लिश लैग्वेज सोसाईटी

द्वारा नवीन कुमार गौड प्रबन्धक

उदयपाल सिंह

मौ0 हीरा कॉलोनी कस्बा सि0बाद

व्यापार

उप निबन्धक सिकन्दराबाद जिला बुलन्दशहर

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500

FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये

सत्यमेव जयते

Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AH 638988

(5)

अतः यह पट्टानामा वास्ते मुद्दत 20 साल खूब सोच समझकर लिख दिया ताकि सनद रहे और समय पर काम आवे। इति। दस्तावेज हाजा पर फोटो प्रमाणित श्री नरेश कुमार एडवोकेट, सिकन्द्राबाद ने किये है।

गवाह :–

नितिन जैन पुत्र सुरेशचन्द जैन नि० मौ० हीरा कालोनी कस्बा सि०बाद जिला-बुलन्दशहर

गवाह :–

सतीश चंद पुत्र रामचन्द्र नि० मौ० टीचर्स कालोनी कस्बा सि०बाद जि०-बुलन्दशहर

तहरीर तारीख–16.03.2023, मसौदाकर्ता देवेन्द्र सिंह दस्तावेज लेखक, सिकन्द्राबाद

Scanned with OKEN Scanner

योगेश गुप्ता, स्टाम्प विक्रेता
लाइसेंस नं0 12/2001
कलैक्टेट परिसर, बुलन्दशहर

आज दिनांक **16/03/2023** को

वही सं. **1** जिल्द सं. **6290**

पृष्ठ सं. **283** से **292** पर क्रमांक **441**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ब्रजेश कुमार

उप निबन्धक

सिकन्द्राबाद

16/3/2023

उप रजिस्ट्रार सिकन्द्राबाद जिला बुलन्दशहर